भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3498
उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

एचईआई पाठ्यक्रम में एसडब्ल्यूएवाईएएम और एमओओसी का एकीकरण

†3498. **श्री सुब्बारायण के.:**
श्री सेल्वाराज वी.:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) और विश्वविद्यालयों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार अपने पाठ्यक्रम में स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (एसडब्ल्यूएवाईएएम) और अन्य मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज (एमओओसी) को शामिल करने का आग्रह किया है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उच्चतर शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): भारत सरकार ने समग्र, बहु-विषयक, लचीली और छात्र -केन्द्रित शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 तैयार की है। एनईपी 2020 में शिक्षण, अधिगम, मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सुधार और शैक्षिक पहुंच बढ़ाने में प्रौद्योगिकी के उपयोग और एकीकरण को बढ़ावा दिया गया है।

एनईपी 2020 के विजन के अनुरूप, शिक्षा मंत्रालय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनएमईआईसीटी) को कार्यान्वित कर रहा है। योजना का उद्देश्य शिक्षा की सभी प्रक्रियाओं में आईसीटी की क्षमता का लाभ उठाना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करने के उद्देश्य से, एनएमईआईसीटी योजना के तहत, प्रमुख संस्थानों से पाठ्यक्रमों तक निशुल्क पहुंच प्रदान करने के लिए स्वयम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अपनी स्थापना के बाद से प्लेटफॉर्म पर पाठ्यक्रमों की 20,000 से अधिक डिलीवरी हुई है, जिसमें संचयी नामांकन 6 करोड़ से अधिक है।

इसके अलावा, यूजीसी (स्वयम के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क) विनियम, 2021 के तहत, उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) सेमेस्टर में स्वयम के माध्यम से 40% तक क्रेडिट प्रदान कर सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी के सहयोग से, स्वयम पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट ढांचे को अपनाने के सुविधाजनक बनाने के लिए समय-समय पर बैठकों, कार्यशालाओं, वेबिनार और एडवाइजरी के माध्यम से एचईआई के साथ नियमित समन्वय को संस्थागत बनाया है। जुलाई 2026 तक की स्थिति के अनुसार, 450 से अधिक विश्वविद्यालयों ने क्रेडिट अंतरण के लिए स्वयम ढांचे को अपनाया है।
